भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5414

दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

एमएएचआईआर के अंतर्गत उन्नत प्रौद्गिकियों का विकास

5414. श्री हमदुल्ला सईद:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत क्षेत्र हेतु उन्नत प्रौद्गिकियो का विकास करने में उन्नत एवं उच्च प्रभाव अनुसंधान मिशन (एमएएचआईआर) के अंतर्गत प्रगति हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत अब तक स्वीकृत अनुसंधान परियोनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की योजना उक्त योजना के अंतर्गत विकसित प्रौद्गिकियों का व्यावसायीकरण सुनिश्चित करने की है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : "उन्नत एवं उच्च प्रभाव अनुसंधान मिशन (एमएएचआईआर)" विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करने तथा उन्हें बड़े पैमाने पर स्वदेशी रूप से विकसित करने की एक पहल है, ताकि उनका उपयोग किया जा सके।

मिशन में दो स्तरीय संरचना है - एक तकनीकी स्कोपिंग समिति (टीएससी) जो तकनीकी दृष्टिकोण से अनुसंधान प्रस्तावों की जांच करती है और एक शीर्ष समिति जो अंतिम रूप से उन्हें मंजूरी देती है। मिशन के समन्वय के लिए केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) को नोडल एजेंसी बनाया गया है और संस्वीकृत परियोजनाओं को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए सीपीआरआई को दिए गए अनुदान से वित्त पोषित किया जाएगा। विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा में उन्नत, उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान का समर्थन करने के लिए एमएएचआईआर ने अपनी शुरुआत के बाद से उल्लेखनीय प्रगति की है। अनुसंधान फोकस क्षेत्रों और परियोजना प्रस्तावों का मार्गदर्शन और मूल्यांकन करने के लिए अकादमिक संस्थाओं, यूटिलिटी और विनियामक निकायों के विशेषज्ञों के साथ एक टीएससी की संस्थापना की गई थी। चिन्हित किए गए प्राथमिकता वाले अनुसंधान डोमेन में शामिल निम्नलिखित हैं:

- लिथियम आधारित ऊर्जा भंडारण के विकल्प
- भूतापीय ऊर्जा
- कार्बन कैप्चर और उपयोग
- ऊर्जा क्षेत्र में एआई और स्वचालन

शोध दिशा-निर्देशों को परिष्कृत करने के लिए विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और उद्योग के साथ कई परामर्श किए गए। प्रस्तावों के लिए एक औपचारिक बोली जारी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न संस्थानों, अनुसंधान संगठनों, शिक्षाविदों और उद्योग के लीडरों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। टीएससी ने प्रस्तुत प्रस्तावों की जांच की और शीर्ष समिति के अंतिम विचार के लिए 05 प्रस्तावों की सिफारिश की।

(ग) : दिशानिर्देशों के अनुसार, मिशन भारतीय स्टार्ट-अप द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों की पायलट परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगा और इसके व्यावसायीकरण की सुविधा भी प्रदान करेगा। स्टार्ट-अप को भारत सरकार/सीपीआरआई के साथ आईपीआर साझा करना होगा।

****